LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY , UTTAR
VIPIN KHAND,GOMTINAGAR ,LUCKNOW
PERMIT TO BULD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA-LUCKNOW

PRINT DATE : 19/12/2017

APPLICATION 53580 **FILE NO :** 153/EE8M.CELL/2017
WARD: **SCHEME :** NonScheme-MapApproval
PERMIT NO: **42675**
SITE OF GROUP HOUSING
SECTOR : **PROPERTY** KH.NO. 191,192,194,197,214,215,217,219,230, 231,234,235,236,139, GHAILA & ALINAGAR, IIM RD.
NAME: SHALIMAR K S M B PROJECTS
Address: TITANIUM SHALIAR , CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND GOMTI NAGAR, LUCKNOW

Sanction vide order dated **26/09/2017** of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of **25/09/2022** **or expiry date of Lease deed whichever is earlier**

Restriction If Required: – आवंटित के हितार्थ

28.12.17

Signature of Competent Authority (BHAWAN)
Under the U.P

: प्रतिबन्ध :

- स्वीकृत समूह आवास भवन मानचित्र भू–स्वामित्व सम्बंधी अभिलेख का अंग नहीं माना जायेगा। भू–स्वामित्व सम्बंधी कोई वाद–विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- तलपट मानचित्र में अंकित सभी शर्तों का पालन करना होगा एवं विकास शुल्क की किश्तों की धनराशि निर्धारित समय पर जमा करनी होगी।
- स्थल पर निर्माण के समय स्वीकृति सम्बंधी समस्त विवरण अंकित करते हुये निर्धारित प्रारूप का एक बोर्ड लगाना होगा।
- भवन निर्माण में शासनादेशानुसार लेबर एक्ट तथा नेशनल बिल्डिंग सेफ्टी काउंसिल के प्राविधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- पार्किंग हेतु आरक्षित क्षेत्र पर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- स्ट्रक्चरल डिजाइन व स्पेसिफिकेशन के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
- शासनादेश के अनुसार स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
- शासनादेश के अनुसार स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र का प्राविधान करना होगा।
- निर्माण पूर्ण करने के उपरान्त प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- समूह आवास मानचित्र स्थल पर शासनादेशानुसार वृक्ष एवं लैण्ड स्केपिंग का प्राविधान करना होगा।
- मानचित्र का उपयोग केवल समूह आवास प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा।
- भविष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण या अन्य किसी भी विभाग की कोई देनदारी निकलती है, तो पक्ष द्वारा देय होगी।
- अपार्टमेण्ट एक्ट एवं रेरा एक्ट तथा विभिन्न समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- अग्निशमन विभाग की अनापत्ति आख्या पर अंकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- आवेदक द्वारा समस्त सेवाओं की कनेक्टिविटी सम्बंधित विभागों से अपने व्यय पर लेनी होगी।
- भवन परिसर में अशक्त व्यक्तियों के लिए भवन उपविधि में अपेक्षित प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।
- बेसमेण्ट का निर्माण आरम्भ करने से पूर्व खनन विभाग की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- रूफ टाप सोलर फोटो वोल्टाईक पावर प्लान्ट की स्थापना भवन के कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत रूफटाप एरिया पर अनिवार्य रूप से की जायेगी।
- नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
- स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
- यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रस्तावित संशोधित समूह आवास भवन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।